<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 152/2018 **दायर दिनांकः 07/08/2018**

उनवान

1. हेमराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम रहलाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 26/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रहलाई तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 133 की ख0नं0 303 की 2.71 है0 खातेदारान मोहनलाल, रामस्वरूप, भूरालाल पिता चतुर्भुज जाति माली ग्राम रहलाई तहसील अटरू का के हिस्सा बांट बराबर में दर्ज खाता चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो का बिल गौर है। उक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादी के पिता चतुर्भुज कि मृत्यु होने पर वादी के खाते दर्ज हुई थी मगर वादी के दो नाम होने कि वजह से वादी के घर वालों ने हेमराज के स्थान पर भूरा लाल दर्ज करवा दिया। वादी का नाम हेमराज ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भूरा लाल व अन्य पहचान पत्रों एवं राशन कार्ड में वादी का नाम हेमराज दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है किसी की जमाबन्दी में भूरालाल के स्थान पर हेमराज दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम भूरालाल के स्थान पर हेमराज दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जावेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा

पाने का अधिकारी है कि उसका नाम भूरालाल के स्थान पर हेमराज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें विकल्प मे निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी भूरालाल उर्फ हेमराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथमबार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भूरालाल गलत होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से भूरालाल के स्थान पर हेमराज दर्ज करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 04.10.2013 को साप मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें कि:–

(अ) राजस्थान रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम भूरालाल के स्थान पर हेमराज घोषित किया जाकर जमाबन्दी में भूरालाल के स्थान पर हेमराज दर्ज किया जावें विलल्प में निवेदन है कि भूरालाल उर्फ हेमराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। जबाव दावा दिया जाना आवश्यक नही है। जबाव दावा प्रतिवादी बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 के बयान लेखबद्ध किये गये उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया वादी का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत रहलाई द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आदि में भी वादी का सही नाम हेमराज दर्ज है। अतः जमाबन्दी संख्या 133 की ख0नं0 303 रकबा 2.71 है0

में भूरालाल पुत्र चतुर्भज के स्थान पर हेमराज पुत्र चतुर्भज दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रहलाई की खाता संख्या 133 की ख0नं0 303 रकबा 2.71 है0 में खातेदार भूरालाल पुत्र चतुर्भज दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत रहलाई द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिनांक 24.10.2018 पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत रहलाई द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आदि में वादी का नाम हेमराज पुत्र चतुर्भज दर्ज है। तथा जवाब प्रतिवादी ने भी वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रहलाई की खाता संख्या 133 की ख0नं0 303 की 2.71 है0 में खातेदार भूरालाल पुत्र चतुर्भज के स्थान पर सही नाम हेमराज पुत्र चतुर्भज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 152/2018

उनवान

1. हेमराज उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम रहलाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रहलाई की खाता संख्या 133 की ख0नं0 303 की 2.71 है0 में खातेदार भूरालाल पुत्र चतुर्भज के स्थान पर सही नाम हेमराज पुत्र चतुर्भज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.11.28 11:57:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: